



२५३/१

दूरध्वाप - 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : १५०८/०५/७६/एक/२०१६-१७
सेवा में

दिनांक २० जुलाई 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

| धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में) | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| बैंक का नाम | खाता संख्या | आईएफएसी कोड | धनराशि |
| इलाहाबाद बैंक | 50338137779 | IFSC Code ALLA0212222 | 114.798 |
| (धनराशि लाख रु० में) | | | |

| क्र० सं | जनपद का नाम | अत्यसंख्यक/मलिन | निकाय का नाम | वस्ती/वार्ड का नाम | प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण |
|---------|--------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------|
| 1 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-०५ अम्बेडकरनगर में हरिजन बस्ती से जगदीश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 18.510 |
| 2 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-०५ अम्बेडकरनगर में हरिजन बस्ती में जगदीश के घर से दक्षिण सीवान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 18.141 |
| 3 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-०८ में मनोज जायसवाल के दुकान से कस्तूरबा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 9.622 |
| 4 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-०५ अम्बेडकर नगर में सुनील जायसवाल के घर से शिवसाहनी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 9.373 |
| 5 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-०८ में मोहन यादव के घर से मन्तू लोहार के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 8.741 |
| 6 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-५ अम्बेडकर नगर में देवराज के घर से कबूरगाह तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 13.639 |
| 7 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-०५ अम्बेडकर नगर में लवकुश के घर से मनोज के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 7.749 |
| 8 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-०२ इन्दिरानगर में सङ्क से पशु अस्पताल तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 12.991 |
| 9 | सिद्धार्थनगर | मलिन बस्ती-८३ बजट | न०प० उस्का बाजार | वार्ड नं०-०२ इन्दिरानगर में श्रवण के घर से परसा वार्डर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 16.032 |
| | योग | | | | 114.798 |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



253/2

दूसरा- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- उम्प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरित्यों तथा मिलिन वरित्यों में सी०री० रोड अथवा इण्टरलाईंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की रथापना योजना हेतु स्थीकृत ढी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें। स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 2- सूचनाय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- रथानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्थीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्थीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्थीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व धनराशि केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी नहीं गयी है।

भवदीय,

(ललि प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक(ललि प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, दूड़ा।।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।